सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-21/2023 **दिनांक- 17 -जनवरी- 2023**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना – रौनापार

किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – वादिनी द्वारा थाना कोतवाली महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादिनी की पुत्री को मनोज कुमार द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाया गया जिसको भगाने मे पंकज निषाद द्वारा सहयोग किया गया। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 400/2022 धारा 363/366/120B भादवि बनाम 1.मनोज कुमार पुत्र भोने उर्फ भोना निषाद 2. पंकज पुत्र संतराज निषाद निवासी गण भीमाकोल थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । विवेचना से धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 17.01.2023 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र भोने उर्फ भोना निषाद सा0 भीमाकोल थाना महारजगंज जनपद आजमगढ को करखिया मोड चालाकपुर तिराहा से समय करीब 09.15 बजे हिरासत में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 400/22 धारा 366/366/120B/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मनोज कुमार पुत्र भोने उर्फ भोना निषाद सा0 भीमाकोल थाना महारजगंज जनपद आजमगढ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना सिधारी

चोरी के मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ सिंह पुत्र राम प्रकाश सिंह सा0 मझगॉवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ एक शातिर वाहन चोर है जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली आजमगढ़ में 2 व थाना सिधारी पर 1 वाहन चोरी का मुकदमा पूर्व से पंजीकृत है ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 16/01/23 को उ0नि0 कमल नयन दूबे मय हमराह द्वारा हरिवंशपुर तिराहे पर अभियुक्त सौरभ सिंह S/0 रामप्रकाश सिंह R/O मझगाँवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ बवाली मोड़ पास से समय 19.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 25/23 धारा 411/419/420 भादवि पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्याया0 किया गया।

नाम पता अभियुक्त..

सौरभ सिंह पुत्र राम प्रकाश सिंह सा0 मझगॉवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1.मु.अ.स. 25/23 धारा 411/419/420 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1.मु.अ.स. 112/21 धारा 406/411/420 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

2.मु.अ.स. 158/21 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

3.मु.अ.स. 288/21 धारा 411/414 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
4. मु.अ.स. 25/23 धारा 411/419/420 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगी -

एक अदद चोरी की हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट लगी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.प्र0नि0 नन्द कुमार तिवारी व उ0नि0 कमल नयन दूबे मय हमराह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

थाना सिधारी, आजमगढ़

जिला कारागार में चोरी छिपे गांजा तस्करी करने वाली 04 अभियुक्ता गिरफ्तार, 4 किलो नाजायज गांजा बरामद, जेल में बंद दो अभियुक्तो के विरुद्ध भी मुकदमा

दिनांक- 17.1.23 को उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह SI अमरनाथ मय हमराह को सूचना मिली की अभी-2 इटौरा तिराहे पर तीन महिलाये आटो से उतरी है तथा इटौरा तिराहे पर होटल में बैठकर आपस में बात कर रही थी आज जेल में बन्द अरमान S/O दिलशाद तथा इस्माईल S/O निसार से मुलाकात कर गांजा देना है। जिसके लिये अरमान ने कल मुलाकात में रुपये दिये थे। वे सभी हाथ में झोला भी लिये थी । इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर को अवगत कराकर इटौरा आने हेतु अनुरोध किया गया। तथा तत्काल रवाना होकर इटौरा तिराहा पर पहुँचा तो देखा कि 04 महिलाये जेल की तरफ जाती दिखाई दी जिनके करीब पहुचकर जेल कालोनी के गेट इटौरा के सामने रोका गया तथा हमराह दोनो महिला आऱक्षियो को उनकी तलीशी लेने की हिदायत कर उनका नाम पता पूछा गया तो पहली महिला ने अपना नाम शबनम D/O सदरुद्दीन निवासी बरहती जगदीशपुर PS जहानागंज जिला आजमगढ़ बताया जिसके द्वारा लिये गये सफेद रंग के धारीदार प्लास्टिक के झोले की तलाशी मु0आ0 द्वारा ली गई तो झोले उपर रखे गये टमाटर, हरा मिर्ची के नीचे एक काले रंग की पन्नी में रखा गांजा बरामद हुआ तथा तथा दुसरे ने अपना शबाना D/O सदरुद्दीन निवासी उपरोक्त बताया जिसके द्विरा लिये गये नीले धारी दार झला में रखी फूल गोभी, हरी धनिया के नीचे से एक काली प्लास्टिक की पन्नी में रखा गांजा बरामद हुआ।

तीसरी महिला ने अपना नाम शहनाज D/O सदरुद्दीन बताया तथ पता उपरोक्त बताया जिसकी जामा तलाशी म0आ0 द्वारा ली गई त उसके द्वारा लिये गये सफेद प्लास्टिक के झोले में रखे गाजर के नीचे काली प्लास्टिक के पन्नी में रखा गांजा बरामद हुआ तथा गोद में लिये बच्चा वाली महिला से पूछने पर अपना नाम मदीना W/O मुन्तजिल पता उपरोक्त बताया जिसकी जामा म0आ0 द्वारा ली गई तो उसके द्वारा लिये गये सफेद प्लास्टिक के झोले मे गोभी टमाटर के नीचे रखे एक काली रंगी की प्लास्टिक की पन्नी में गांजा बरामद हुआ शबनम व शबाना उपरोक्त के पास से क्रमशः 2 हजार व तीन हजार रुपये नगद भी बरामद हुआ ।

शबाना, सबनम,शहनाज का बहनोई इस्माईल जिला कारागार में बन्द है। जिसका दोस्त अरमान पुत्र दिलशाद निवासी नोहरा psदिदारगंज आजमगढ़ है। जिनसे हम लोग मुलाकात करने हम लोग अक्सर जाते है। तथा उन लोग के कहने पर हम लोग अपने कपड़ो के अन्दर गांजा छिपाकर मुलाकात के दौरान उन्हे दे देते है। जिसके बदले हम लोगो को वे रुपये देते है। कल हम लोग मुलाकात किये थे तो उन्होने हमे रुपये दिये थे जिनका आज गांजा खरीदकर हमलोग अंदर पहुँजाने जा रहे थे। चार प्लास्टिक झोलो में 1-1 किग्रा अवैध गांजा कुल 4 किलो बरामद किया गया। यह गिरफ्तारी व बरामदी समय 10.50 बजे की गयी, गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्ता

1. शबाना पुत्री सदरुद्दीन सा0 बरहथी जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ उम्र 25 वर्ष
2.शबनम पुत्री सदरुद्दीन सा0 बरहथी जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ उम्र 24 वर्ष
3-शहनाज पुत्री सदरुद्दीन सा0 बरहथी जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ उम्र 22 वर्ष
4-मदीना पत्नी मुन्तजील सा0 बरहथी जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ उम्र 34 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 26/23 धारा 8/20/27क/29 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 27/23 धारा 8/20/27क/29 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 28/23 धारा 8/20/27क/29 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 29/23 धारा 8/20/27क/29 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगी -

चार प्लास्टिक झोलो में 1-1 किग्रा अवैध गांजा कुल 4 किलो बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.गौरव शर्मा क्षेत्राधिकारी नगर जनपद आजमगढ़

2.प्र0नि0 नन्द कुमार तिवारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

3.उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह प्रभारी इटौराथाना सिधारी आजमगढ़

4.उ0नि0 अमरनाथ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

5.हे0का0 अशोक पाल थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

6.हे0का0 धीरज यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

7.म0आ0 बन्दना शुक्ला थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

8.म0आ0 पल्लवी गुप्ताथाना सिधारी जनपद आजमगढ़

थाना-फूलपुर

चोरी की घटना का अनावरण; चोरी गये बकरे के साथ 02 गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- **दिनांक** 16.01.2023 **को मुकदमा वादी नन्दू राजभर पुत्र फेरन राजभर सा0 रीवासुल्तानपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र के बावत दो बकरा चोरी होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं** 19/2023 **अर्न्तगत धारा** 379 **भादवि विरूद्ध अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 अशोक कुमार मौर्या को सुपुर्द की गयी।**
2. गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 17-1-23 को उ0नि0 अशोक कुमार मौर्य मय हमराह को सूचना मिली कि दिनांक 11-1-23 को नन्दू राजभर ग्राम रीवा सुल्तानपुर के यहाँ से जो बकरे चोरी हुए थे वह नो बकरे अरमान पुत्र मुन्नू ग्राम नेवादा थाना फूलपुर के यहाँ बधे हुए है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर दोनो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया जिसमें एक ने अपना नाम अरमान पुत्र मुन्नू ग्राम नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष बताया तथा दूसरे ने अपना नाम विकाश राजभर पुत्र पुलरू राजभर ग्राम रीवा सुल्तानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष बताया। तथा यह भी बताया कि हम दोनो लोग वीर बहादुर उर्फ बीरू राजभर पुत्र मुन्नी लाल राजभर ग्राम भवरूपुर थाना अहरौला जनपद आमजगढ़ के साथ मिलकर बकरा चोरी करते है। लाकर अरमान पुत्र मुन्नू के यहाँ रख देते अरमान पुत्र मुन्नू बकरे को बेचते है। हम लोग अरमान के पास आकर पैसा आपस में बाट लेते है दिनांक 15-11-22 को नियाऊज गाँव से हम तीनो लोगो ने मिलकर एक बकरा चोरी कियाथा उसी का पैसा लेने के लिए आज अरमान के पास आया था कि आप लोगो ने पकड़ लिया दिनांक 11-1-23 को रीवा सुल्तानपुर के नन्दू राजभर के घर से हम तीनो लोगो ने मिल कर दो बकरा चुरायाथा जो अरमान के घर में बधे हुए है। उसी के डर से हम लोग भाग रहे थे। अभियुक्तों को समय 11.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान माननीय न्या0 किया गया।

सम्बन्धित अभियोग-_ मु0अ0सं0 19/23 धारा 379/411 भादवि थाना फूलपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- अरमान पुत्र मुन्नू ग्राम नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष बताया

2-विकाश राजभर पुत्र पुलरू राजभर ग्राम रीवा सुल्तानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

बरामदगी- 1. दो बकरा व एक मोटर साइकिल व **1500** रूपया नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम

1- उ0नि0 अशोक कुमार मौर्य मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

थाना- बरदह

लड़की को अगवा कर, धर्म परिवर्तन करा कर शादी करने वाला वांछित बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण - दिनांक- 14.01.23 वादी थाना घोरावल जनपद सोनभद्र की पुत्री उम्र 22 वर्ष जो जनपद सोनभद्र व अन्य जगहो पर आरकेस्टा में डांस करती थी, को एक बाल आपचारी द्वारा बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए अपने साथ ले जाकर मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कर लिया गया, के सम्बन्ध में थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 15/23 धारा 366 भादवि 3/4/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 व धारा 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम एक बाल आपचारी थाना बरदह आजमगढ़ पंजीकृत किया गया एवं विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा सम्पादित की गई। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भा0द0वि0 की बढोत्तरी की गई। इसी क्रम मे -

2- गिरफ्तारी का विवरण – क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में दिनांक 17.01.23 को प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित बाल आपचारी को दुबरा के पास से समय 06.20 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 15/23 धारा 366/376 भादवि 3/4/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 व धारा 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- बाल आपचारी किशोर

पुलिस टीम-

संजय सिह (प्र0नि0) थाना बरदह जनपद आजमगढ

का0 राजेन्द्र कुशवाहा, (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ

का0 सौरभ सिंह, (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ